

(रा.सू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अभिकारी महोदय

सिवागा मिला अफोहरा

(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ठाकरवाडी की जमाबन्दी संवत् 2072-80 के खाता संख्या 218 में मेरा/हमारे नाम शिवदास सिंह पुत्र सांगासिंह है जो जाति राजपूत वर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम शम्भू सिंह पुत्र सांगासिंह है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

दिनांक :- 09/10/25

शम्भू सिंह

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी शम्भू सिंह पुत्र सांगासिंह जाति राजपूत के गोना ठाकरवाडी के खाता सं. 218 में शिवदास सिंह पुत्र सांगासिंह नामपूरत लिखे हैं जो अशुद्ध है। अतः उक्त दुरुस्ती के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.गिनेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

तहसीलदार समदडी
तहसीलदार समदडी

Gcms No. 2025/666

आदेश

दिनांक 10/10/2025

क्रमांक / 165 /

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम ठाकरवाडी की जमाबन्दी संवत् 2072-80 के खाता संख्या 218 में शिवदास पुत्र सांगासिंह के बजाय सामान सूचक इन्द्राज

शम्भू सिंह पुत्र सांगासिंह

करने की स्वीकृति पदम

की जाती है। सामान्य दस्तावेज की कार्यवाही की जावे ।



उप-सहायक अभिकारी
सिवागा
सिवगा (मिला अफोहरा)